



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936

No. 254]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

भारतीय भेषजी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

सं. 10-1/2012- भा. भे. परि. (भाग-1).—भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का आठवाँ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद्, केंद्रीय सरकार की अनुमति से मूल विनियम अर्थात् शिक्षा विनियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है, -

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

- (1) इन विनियमों को शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. मूल विनियम के परिशिष्ट 'ख' में शीर्ष, (अ) आवास में आखिरी पैरा में निम्नलिखित दो वाक्य जोड़े जायें -

“पाठ्यक्रम में जहाँ कहीं भी पशु पर प्रयोग करने की बात कही गयी है, अपेक्षित ज्ञान तथा कौशल कंप्यूटर आधारित मापक के जरिए प्रदान किया जाये। जन्तुओं के रखने का स्थान पशुओं पर प्रयोग पर नियन्त्रण तथा देखरेख करने के उद्देश्य से गठित समिति (सी पी सी एस ई ए) के दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।”

अर्चना मुद्गल, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./101/14]

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियम अर्थात् शिक्षा विनियम, 1991 भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4, संख्या 28 में 11.7.1992 को प्रकाशित किये गये थे।
2. मूल विनियमों में पहला संशोधन भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4, संख्या 28 में 9.7.1994 को प्रकाशित किया गया था।
3. मूल विनियमों में दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4, में 2.3.1996 को प्रकाशित किया गया था।

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2014

No.10-1/2012- PCI (Pt-I).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government further amends the principal Regulations called the “Education Regulations, 1991” as under –

“ 1. **Short title and commencement—**

- (1) These regulations may be called the Education (Amendment) Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In **Appendix-B** to the principal Regulations, under the heading (A) ACCOMMODATION, the following two sentences shall be added at the end of last para –

“Wherever animal experimentations are prescribed in the curriculum, the required knowledge and skill should be imparted by using computer assisted modules. Animal hold area shall be as per the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) guidelines.”

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-/III/4/Exty./101/14]

- Foot Note:**
1. The principal Regulations, namely, the Education Regulations, 1991 were published in Part III, Section 4, No. 28 of the Gazette of India on 11.7.1992
 2. The 1st amendment to the principal Regulations was published in Part III, Section 4, No. 28 of the Gazette of India on 9.7.1994.
 3. The 2nd amendment to the principal Regulations was published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 2.3.1996.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

संख्या 10-1/2012 - भा.भे.परि. (भाग-1).—भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का आठवाँ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद्, केंद्रीय सरकार की अनुमति से मूल विनियम अर्थात् फार्म.डी. विनियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है,

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -**

- (1) इन विनियमों को फार्म. डी. (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. मूल फार्म. डी. विनियम, 2008 के परिशिष्ट ‘ख’ में शीर्ष, (5) **आवास** में आखिरी पैरा में दो वाक्य जोड़े जायें -

“पाठ्यक्रम में जहाँ कहीं भी पशु पर प्रयोग करने की बात कही गयी है, अपेक्षित ज्ञान तथा कौशल कंप्यूटर आधारित मापक के जरिए प्रदान किया जाये। पशुओं के रखने का स्थान पशुओं पर प्रयोग पर नियन्त्रण तथा देखरेख करने के उद्देश्य से गठित समिति (सी पी सी एस ई ए) के दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।”

अर्चना मुद्गल, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./101/14]

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियम अर्थात् फार्म.डी. विनियम, 2008 भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4, संख्या 19 में मई 10 - मई 16, 2008 को प्रकाशित किये गये थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2014

No. 10-1/ 2012- PCI (Pt-I).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government further amends the principal Regulations called the Pharm.D Regulations, 2008 as under –

“ 1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Pharm.D (Amendment) Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In **Appendix-B** to the principal Pharm.D Regulations, 2008, under the heading (5) ACCOMMODATION, the following two sentences shall be added at the end of last para –

“Wherever animal experimentations are prescribed in the curriculum, the required knowledge and skill should be imparted by using computer assisted modules. Animal hold area shall be as per the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) guidelines.”

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT./III/4/Exty./101/14]

Foot Note: 1. The principal Regulations, namely, the Pharm. D Regulations, 2008 were published in Part III, Section 4, No. 19 of the Gazette of India on May, 10 – May 16, 2008.